नम्बर व
अहकाम
हुकम को
में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 70/2024 दायर दिनांक: 10.06.2024

उनवान

1. सुगनाबाई पत्नी चैनसिंह जाति सौंधिया नि. उदालियाखेड़ी तहसील पिड़ावा

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा
2. श्यामुबाई पत्नी पर्वतसिंह जाति सौंधिया नि. उदालियाखेडी तहसील पिड़ावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :-
अभिभाषक प्रार्थी – श्री नीलकमल त्रिवेदी
अप्राथी सं. 1 – पैरोकार सरकार
अभिभाषक अप्राथी सं. 2 – शहजादी गौरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 10.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम उदलियाखेड़ी पटवार हल्का गोविन्दपुरा भू०अभि०नि० गेलानी तह० पिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 की खाता संख्या नया 61 पुराना 47 के खसरा नं. 346/45 रकबा 0.1770 है0 आराजी स्थित है जो कि प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। यह कि राजस्व नक्शे में खसरा नं. 346/45 रकबा 0.1770 है० दक्षिण दिशा में कर दिया गया है जबकि वास्तव में प्रार्थीया उत्तर दिशा में काबिज काश्त है और खसरा नं. 45 रकबा 0.3415 है० आराजी पर अप्रार्थी नं. 2 दक्षिण दिशा में काबिज काश्त है इसलिए खसरा नं. 45 रकबा 0.3415 है0 को खसरा नं. 346/45 रकबा 0.1770 है0 के स्थान पर शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व नक्शे में भी खसरा नम्बरान का रकबा पैमाईश सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थीया अपने खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

47 के दक्षिण दिशा में स्थित रकबा 0.1770 है० आराजी पर काबिज काश्त है इस 0.1770 है० का खसरा नं. 346/45 है तथा खसरा नं. 45 का रकबा 0. 3415 है० जो मौके पर कुए के खसरा नं. 44 के पास है जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 2 काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के कब्जे काश्त वाली भूमि पर अप्रार्थी नं. 2 के कब्जे काश्त वाली भूमि का खसरा नं. 45 हो गया है और प्रार्थीया के कब्जे काश्त वाली भूमि पर खसरा नं. 346/45 जो कि प्रार्थीया के खाते का है हो गया है। इसलिए खसरा नं. 45 के स्थान खसरा नं. 346/45 किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा दोनो का रकबा तो सही है लेकिन पैमाना भी शुद्धी के अनुसार किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम उदलियाखेडी पटवार हल्का गोविन्दपुरा भू०अभि०नि० गेलानी तह० पिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 की खाता संख्या नया 61 पुराना 47 के खसरा नं. 346/45 रकबा 0.1770 है० के राजस्व रिकार्ड नक्शे में संशोधन कर राजस्व नक्शे का पैमाना भी शुद्ध किये जाने करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 1 में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है।. यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 2 में वर्णित तथ्य अनुसार यह कि ग्राम उदलियाखेडी के खाता न० 61 ख०न० 346/45 रकबा 0.1770 हैक्य० खातेदार सुगनाबाई पत्नी चैनसिह के नाम खाते दर्ज ह। एवं खसरा न० 45 रकबा 0. 3415 खालेदार श्यामुबाई पत्नी परवतसिह जाति सौधिया के नाम दर्ज है। यह कि खसरा न० 346/45 एवं खसरा 45 आन[illegible] में गलत तरमीम दर्ज है। जबकि सहमति बटवारे से [illegible]० 210 से [illegible] बटवारे में सही दिशा में राजस्व लटटे में सही दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 3 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तथ्य अनुसार कब्जा एवं सहमति बटवारे अनुसार उक्त तरमीम शुद्धि करने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 है। जो माननीय न्यायालय से सम्बधित है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है। कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष श्रीमान माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा तय किया जाकर अग्रिम आदेश हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा पालनार्थ हेतु तत्पर है।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना का पैरा नं. 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना का पैरा नं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना का पैरा नं. 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना का पैरा नं. 4 स्वीकार है। अतः स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम उदलियाखेडी की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 61, 56, 62 की प्रमाणित नकल एवं खसरा नक्शा दिनांक 07.05.2025 व 16.05.2025 पेश की।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का गोविन्दपुरा की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नामा.सं. 210, सहमति बंटवारा प्रपत्र दिनांक 09.06.2017, खसरा नक्शा दिनांक 06.06.2025, जमाबंदी खाता सं. 61, 56, 57 की प्रमाणित पेश की।

6. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम उदलियाखेडी तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 45 रकबा 2–02 बीघा यानि 0.5311 है. आराजी श्यामुबाई पत्नि पर्वतसिंह हि. 2/3 एवं सुगनाबाई पत्नि चेनसिंह हि. 1/3 की [illegible] में दर्ज रिकार्ड थी। दोनो सहखातेदारो द्वारा तहसीलदार सा. पिडावा के समक्ष राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 केम्प स्थल [illegible] में आपसी सहमति से खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन हेतु दिनांक 09.04.2017 को आवेदन किया गया था। न्यायालय तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के अनुसार ख.नं. 45 रकबा 2–02 बीघा में से उत्तर दिशा का हिस्सा 1/3 यानि 0–14 बीघा सुगनाबाई को एवं दक्षिण दिशा का हिस्सा 2/3 यानि 1–07 बीघा श्यामुबाई को एवं दक्षिण में 0–01 बीघा भूमि दोनो पक्षकारो के हि. 1/2–1/2 में बराबर रखी गई। न्यायालय के सहमति बंटवारा आदेश की पालना में नामा.सं. 210 दिनांक 04.08.2017 दर्ज किया गया। नामा.सं. 210 की पंजिका के पृष्ठ भाग पर दर्ज नजरी नक्शानुसार एवं बंटवारा आदेश के पृष्ठ भाग पर दर्ज नजरी नक्शानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई। सहमति बंटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्से की तरमीम उत्तर दिशा में जबकि अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से की तरमीम दक्षिण दिशा में की जानी चाहिए थी लेकिन राजस्व कार्मिको को तहसील को आनलाईन करते समय गलत तरमीम करते हुए प्रार्थीया को दक्षिण में एवं अप्रार्थी सं. 2 को उत्तर में कर दिया गया है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सहमति बंटवारा अनुसार ही वर्षो से कब्जे काश्त चली आ रही है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा बंटवारा आदेश के विपरीत बिना किसी प्राधिकार के राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी को दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मूल ख.नं. 45 रकबा 2–02 बीघा की राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होना स्वीकार किया। पेरोकार सरकार द्वारा सहमति बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त होना स्वीकार कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न के अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

8. अप्रार्थी सं. 2 ने बहस के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा नक्शे में की गई तरमीम को गलत बताते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9. अभिभाषक प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा पेश न्यायालय तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 09.06.2017 राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 केम्प गोविन्दपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम उदलियाखेडी तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 45 रकबा 2–02 बीघा यानि 0.5311 है. आराजी श्यामुबाई पत्नि पर्वतसिंह हि. 2/3 एवं सुगनाबाई पत्नि चेनसिंह हि. 1/3 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। दोनो सहखातेदारो के आवेदन पर तहसीलदार पिडावा द्वारा सहमति बंटवारा करते हुए मूल ख.नं. 45 के उत्तरी भाग को सुगनाबाई के हिस्से में एवं दक्षिण भाग को श्यामुबाई के हिस्से में और दक्षिण की 0–01 बीघा भूमि को दोनो सहखातेदारो के हिस्सा बराबर में शामलाती रखा गया था। प्रार्थीया द्वारा पेश नामा.सं. 210 की पंजिका पृष्ठ भाग्र पर अंकित मूल ख.नं. 45 के नजरी नक्शानुसार भी साबित है कि प्रार्थीया को उत्तर दिशा की भूमि एवं अप्रार्थी सं. 2 को दक्षिण दिशा की भूमि दी गई थी जिसे प्रार्थीया व अप्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस में भी स्वीकार किया गया है। पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2025 में स्वीकार किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 मौके पर नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ भाग पर बने खसरा नक्शा अनुसार ही काबिज है। अतः साबित है कि राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व नक्शे में तहसीलदार के सहमति बंटवारा आदेश के विपरीत बिना किसी प्राधिकार के तरमीम की गई है जिसे उभयपक्ष की सहमति से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

10. अभिभाषक प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया ने आगे कथन किया कि राजस्व नक्शे में यह त्रुटी राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 210 का अमल दरामद करते समय हुई है और राजस्व कार्मिको द्वारा कार्यवाही पूर्वक प्रार्थीया व अप्रार्थीया को सुने बिना की गई गलती की सजा प्रार्थीया व अप्रार्थीया को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा ने भी स्वीकार किया है कि बंटवारा प्रस्ताव/जिल्द पुश्त पर बने नजरी नक्शे से वर्तमान आनलाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला बारां (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शे का मिलान नहीं हो रहा है। वर्तमान नक्शा तरमीम प्रार्थीया व अप्रार्थीया के मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व ,कार्मिको द्वारा नियम विरूद्ध गलत अंकन किया गया जो दुरूस्ति योग्य है।

11. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम गरदखेडी के मूल ख.नं. 45 रकबा 2–02 बीघा यानि 0.5311 है. के तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 09.06.2017 की पालना में खोल गये नामा.सं. 210 की राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद करते समय हाल खसरा नम्बर 45 एवं ख.नं. 346/45 की दिशा/तरमीम त्रुटीपूर्ण की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field [illegible] be maintained by the Land Records Officer, in ac[illegible] made by the State Government in that behalf an[illegible] at such longer intervals as the State Government may presc[illegible], to be recorded therein

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम उदलियाखेडी तहसील पिडावा की कृषि आराजी हाल ख.नं. 346/45 एवं ख.नं. 45 के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

13. परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम उदलियाखेडी तहसील पिडावा की कृषि आराजी हाल ख.नं. 45 एवं ख.नं. 346/45 के राजस्व नक्शे में नामा.सं. 210 एवं सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के पृष्ठ भाग पर बने नजरी नक्शानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती कर प्रार्थीया के हिस्से की तरमीम उत्तर की ओर एवं अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से की तरमीम दक्षिण की ओर किये जाने के आदेश दिए जाते है। ख.नं. 347/45 रकबा 0–01 बीघा की तरमीम यथावत रखी जावे। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner